14/02/23 पत्रावली पेश हुई। वकील अप.।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील की बहस पर मनन के पश्चात प्रकरण में ज्ञात है कि आवेदक द्वारा धारित खातेदारी भूमि ग्राम बेडा-I के खसरा नं 76/4 रकबा 0.60 हेक्टेयर की भूमि में आवागमन के लिये कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि बेडा-I के खसरा नंबर 76 व राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम करावल के खसरा नं. 170 में से धारा 251A के तहत रास्ता चाहा है। इस संबंध में TDR बाली के पत्रांक/राजस्व/2023/3970 दि. 06-2-2023 से प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर पहाड़ों के बीच से प्रस्तावित है तथा इसका उपयोग नहीं हो रहा है जिससे TDR बाली द्वारा अन्य विकल्प के तौर पर ग्राम बेडा-I स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं 75, 76 किस्म गै. मु. मगरा में से कुल 5697 वर्गमीटर का रास्ता प्रस्तावित किया है। राजकीय सिवायचक भूमि में से आवागमन के लिये किसी व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में TDR बाली नहीं रोका जाता है। जिससे धारा 251A के तहत आवेदक को राजकीय सिवायचक भूमि में से आवागमन के लिये पृथक से रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं है अतः प्रार्थना पत्र धारा 251A खारिज किया जाता है तथा TDR बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि मौके पर राजकीय सिवायचक भूमि से रास्ता उपलब्ध है तो राज्य सरकार के कदीमी रास्ते बाबत जारी परिपत्र/निर्देशों के संदर्भ में आवेदक के प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में जाँच करते हुये कदीमी रास्ते के प्रस्ताव नियमानुसार

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता... अहलकान जो ... की तामिल ... हुए
	प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)	

Scanned with CamScanner